


123111

12-10-16

राज्य द्वारा एडीपीओ।

प्रकरण में आरोपी प्रभाकर उर्फ बल्लू के विरुद्ध जारी स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त जिसके अनुसार उसकी मृत्यु हो चुकी है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं बची है। अतः प्रकरण निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जाये।


निदेशक, एडीपीओ
राजस्थान सरकार
जयपुर

